सत्यमेव जयते

कुलाधिपति

Chancellor

डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद ....**विश्वविद्यालय,**

..................................**University,**

राज भवन, जयपुर – 302006

Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांकः एफ.30(2)आरबी / 2015 / 2583

दिनांक 22 मार्च, 2019

आदेश

डॉ0 बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.30(2)आरबी / 2015 / 1687 दिनांक 18.02.2019 द्वारा डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधिनियम 2002 (यथासंशोधित 2018) की धारा 24(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया था।

डॉ0 बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 25.03.2019 को पूर्ण होने जा रही है।

डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधिनियम 2002 (यथासंशोधित 2018) की धारा 24(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2002 (यथासंशोधित 2018) की धारा 24(9) एवं 24(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह पर प्रो0 भागीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0 / –

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

sele.committeeRAU

क्रमांकः एफ.30(2)आरबी / 2015 / 2584-91 दिनांक 22 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रो0 बलराज सिंह, कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. प्रो0 भगीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा